

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ 399-25478/ जोन-जयपुर/2024/ 387 दिनांक- 23/5/24

::आदेश::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (युप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/ रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15 (88) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/ वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला
1	जयमाला म.स्वा.कार्यकर्ता	अलवर	18.02.2005	18.02.2023 18 वर्ष	लेवल-10	लेवल -11

1. यदि उक्त कर्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
 निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ 399-25478/ जोन-जयपुर/2024/ 387 दिनांक- 23/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी ।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
 राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6844533

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
 Designation: Director
 Date :22-05-2024 03:40:58